

हिमाचल प्रदेश
जल शक्ति विभाग

दिनांक 18/10/2021

पत्र संख्या: Thunag-WA-FCA-Balichowki/2021. 10745
सेवा में,

✓ वन मण्डलाधिकारी
नाचन वन मण्डल
गोहर जि० मण्डी(हि०प्र०)

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यलय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020


महोदय,

उपरोक्त संदर्भ का अवलोकन करें जिसके अन्तर्गत उपरोक्त पेयजल योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त थी। इस स्वीकृति में दर्शाया गई शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट निम्न है:-

1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मंजूर है।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मंजूर है।
3.	प्रतिपूरक वनीकरण	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अधिकरण की लागत पर 8.64 हे० गैर वानिकी भूमि / वनाच्छादित वन भूमि/ उपखण्ड संख्या/ खसरा संख्या DPF Ropa Karot, Range Thachi में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	शर्त मंजूर है।
(ख)	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण नहीं किया गया है।	शर्त मंजूर है।
(ग)	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी, प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त मंजूर है।

4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा प्रत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007 - एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.32 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त मंजूर है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त मंजूर है।
5.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I A No. 3840 WP(c) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिए जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	शर्त मंजूर है।
6.	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के कम्पार्टमेन्ट/ खसरा संख्या के स्थान पर टोपीशीट का क्रमांक अंकित किया गया है जो कि उचित नहीं अतः वन मंडल अधिकारी द्वारा संसोधित सी०ए० स्कीम में सही कम्पार्टमेन्ट/खसरा संख्या प्रस्तुत किया जाएगा।	शर्त मंजूर है।
7.	The pipe line shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be levelled	शर्त मंजूर है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/ पातन नहीं किया करेंगे।	शर्त मंजूर है।
9.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।	शर्त मंजूर है।
10.	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त मंजूर है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त मंजूर है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण वर विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।	शर्त मंजूर है।
13.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मंजूर है।

14.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान बिना नहीं बदला जाएगा।	शर्त मंजूर है।
15.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर है।
16.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त मंजूर है।
17.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त मंजूर है।
18.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मंजूर है।
19.	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिला लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त मंजूर है।
20.	भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर है।
21.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त मंजूर है।
22.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मंजूर है।
23.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त मंजूर है।
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मंजूर है।


 अधिशाषी अभियन्ता
 जल शक्ति मण्डल थुनाग

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता जल शक्ति उप-मण्डल बालीचौकी को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

yc R.K
 जयक



अधिशाषी अभियन्ता
 जल शक्ति मण्डल थुन

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Division Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यालय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
	भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	शर्त मंजूर है।

015

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


अधिशायी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनगरा।

UNDERTAKING

विषय - : Diversion of 4.32 ha of forest land in favour of Executive Engineer IPH Division Thunag for the construction of Bali chowki and Multi village Group Piped Water Supply Scheme for part of Seraj Blick within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online proposal no. FP/HP/Pipeline/39422/2019).

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून पत्र संख्या 8बी/एच. पी./02/29/2020/एफ. सी./16 दिनांक 30/04/2020.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्तें मंजूर



Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
At Gohar.

UNDERTAKING

विषय - : Diversion of 4.32 ha of forest land in favour of Executive Engineer IPH Division Thunag for the construction of Bali chowki and Multi village Group Piped Water Supply Scheme for part of Seraj Blick within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online proposal no. FP/HP/Pipeline/39422/2019).

संदर्भ :- क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून पत्र संख्या 8बी/एच. पी./02/29/2020/एफ. सी./16 दिनांक 30/04/2020.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
3.	प्रतिपूरक वनीकरण:	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 8.64 हे० गैर वानिकी भूमि/वनाच्छादित वन भूमि / उपखण्ड संख्या / खसरा संख्या DPF RopaKarot, Range Thachiमें प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	शर्त मंजूर
(ख)	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रति पमरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरीदरों पर प्रतिपूरक वनीकरणकी लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन औरास्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जाएगी। प्रति पूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	शर्त मंजूर
(ग)	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त मंजूर


Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
At Gohar.

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यलय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा प्रत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007 - एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.32 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त मंजूर है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त मंजूर है।

CIS

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


[Signature]
अधिशायी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग

UNDERTAKING

विषय - : Diversion of 4.32 ha of forest land in favour of Executive Engineer IPH Division Thunag for the construction of Bali chowki and Multi village Group Piped Water Supply Scheme for part of Seraj Blick within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online proposal no. FP/HP/Pipeline/39422/2019).

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून पत्र संख्या 8बी/एच. पी./02/29/2020/एफ. सी./16 दिनांक 30/04/2020.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
5.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (c) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	शर्त मंजूर


Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
At Gohar.

4

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यलय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
6.	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के कम्पार्टमेन्ट/ खसरा संख्या के स्थान पर टोपीशीट का क्रमांक अंकित किया गया है जो कि उचित नहीं अतः वन मंडल अधिकारी द्वारा संसोधित सी0ए0 स्कीम में सही कम्पार्टमेन्ट/खसरा संख्या प्रस्तुत किया जाएगा।	शर्तें मंजूर है।

C/S

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशोषी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Division Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यलय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
7.	The pipe line shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be levelled	शर्तें मंजूर हैं।

CS

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


अधिशोषी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग

UNDERTAKING

विषय - : Diversion of 4.32 ha of forest land in favour of Executive Engineer IPH Division Thunag for the construction of Bali chowki and Multi village Group Piped Water Supply Scheme for part of Seraj Blick within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online proposal no. FP/HP/Pipeline/39422/2019).

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून पत्र संख्या 8बी/एच. पी./02/29/2020/एफ. सी./16 दिनांक 30/04/2020.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
8.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया करेंगे।	शर्त मंजूर


Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
At Gohar.

UNDERTAKING

विषय - : Diversion of 4.32 ha of forest land in favour of Executive Engineer IPH Division Thunag for the construction of Bali chowki and Multi village Group Piped Water Supply Scheme for part of Seraj Blick within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online proposal no. FP/HP/Pipeline/39422/2019).

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून पत्र संख्या 8बी/एच. पी./02/29/2020/एफ. सी./16 दिनांक 30/04/2020.

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
9.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	शर्त मंजूर



Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
At Gohar.

11

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)


संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यलय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
9.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।	शर्त मंजूर है।

८५

9
DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


अधिशोषी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Division Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यलय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
10.	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त मंजूर है।

C/S

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिसाषी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यालय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	मंजूर/नामंजूर
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।

0/5

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशोषी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग

UNDERTAKING

विषय:-


Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)


संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यलय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
12.	प्रयोक्ता अंमोकरण वर विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।	शर्त मंजूर है।

C/s


 DIVISIONAL FOREST OFFICER,
 NACHAN FOREST DIVISION,
 GOMAR, DISTT. MANDI (H.P.)


 अधिशाषी अभियन्ता
 जल शक्ति मण्डल
 थुनाग

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)


संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यलय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
13.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मंजूर है।

015

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


अधिशोषी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनग

UNDERTAKING


विषय:- Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Division Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
14.	केन्द्र कार्यालय की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान बिना नहीं बदला जाएगा।	शर्त मंजूर है।

C/S

9
 DIVISIONAL FOREST OFFICER,
 NACHAN FOREST DIVISION,
 GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


 अधिशासी अभियन्ता
 जल शक्ति मण्डल
 थुनाग

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यालय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
15.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर है।

C/S

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशेषी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Division Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यालय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
16.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त मंजूर है।

cts

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशायी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग।

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यलय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
17.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त मंजूर है।

cls

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशोषी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग

UNDERTAKING

विषय:-


Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)


संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यलय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
18.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मंजूर है।

C/S


 DIVISIONAL FOREST OFFICER,
 NACHAN FOREST DIVISION,
 GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


 अधिशाषी अभियन्ता
 जल शक्ति मण्डल
 थुनाग

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यलय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
19.	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिला लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त मंजूर है।

C/S

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशोषी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यालय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
20.	वेन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतू नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर है।

c/s

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशोषी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Division Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यालय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्त	मंजूर/नामंजूर
21.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभागों अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त मंजूर है।

O/S

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिसाषी अभियन्ता
जल शक्ति/मण्डल
थुनग।

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यालय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्त	मंजूर/नामंजूर
22.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मंजूर है।

e/s

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशोषी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग।

25

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Division Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)


संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यालय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
23.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजन्तुओं के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्तें मंजूर हैं।

els

9
DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


अधिकांशी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग

401

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 4.32 Ha of forest land in favour of Executive Engineer Jal Shakti Divison Thunag for the construction of Balichowki and Multi village group Pipes Water Supply Scheme for part of Seraj Block within jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh (Online proposal no. FB/HP/Pipe line/ 39422/2019)

संदर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यलय (North Central Zone) देहरादून पत्र संख्या 8वीं/एफ पी/02/29/2020/एफ सी/16 दिनांक 31/04/2020

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मंजूर है।

C/s

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

अधिशोषी अभियन्ता
जल शक्ति मण्डल
थुनाग